(vii) Dr. Devender Kaur, Assistant Profesor in the Department of Radiology at BPS Govt. Medical College for Women Khanpur Kalan, Sonepat.

(viii) Dr. Sarity Maggu Senior Professor in the Department of Radiology at Member Pt. Bhagwat Dayal Sharma PGIMS, Rohtak.

(ix) Dr. Anjali Aggarwal, Inner Wheel Society, H.No. 48, Member Sector-7, Panchkula.

(x) Dr. Vandna Pahuja, Inner Wheel Club Panipat & Samalkha, Member Phuja Hospital, 18-Nehru Nagar, Tehsil Road, Panipat.

(g) Director, Family Welfare, Haryana, Ex-officio

TA/DA to non-official members will be allowed as per instructions issued by the Government from time to time and expenditure involved will be borne by the department from the registration fee received under the P.N.D.T. Act.

Chandigarh: The 7th August, 2015. R. R. JOWEL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Health Department.

Member

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अक्तूबर, 2015

क्रमांक 49/44/2015—2आई.बी.I—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप घ) राज्य सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग-1 सामान्य

- _{संक्षिप्त नाम।} 1. (i) ये नियम हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप घ) राज्य सेवा नियम, 2015 कहे जा सकते हैं ।
 - (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
 - _{परिभाषाएं ।} 2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) ''महानिदेशक या निदेशक'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा नियुक्त महानिदेशक या निदेशक उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा;
 - (ख) ''आयोग '' से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचाारी चयन आयोग;
 - (ग) "अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रशा0)" से अभिप्राय है, अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रशा0), उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा या ऐसा अधिकारी जिसे अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक (प्रशा0) की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नामांकित किया गया हो :
 - (घ) "संयुक्त निदेशक / उप निदेशक" से अभिप्राय है, संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र ;
 - (ङ) ''संयुक्त निदेशक कम मुख्य निरीक्षक बायलर'' से अभिप्राय है, संयुक्त निदेशक –कम–मुख्य निरीक्षक बायलर, हरियाणा;
 - (च) ''संयुक्त निदेशक / उप निदेशक'' से अभिप्राय है, संयुक्त निदेशक / उप निदेशक, गुण मार्किंग / उष्मा उपचार तथा औद्योगिक विकास केन्द्र ;
 - (छ) ''संस्था'' से अभिप्राय है-
 - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई भी संस्था ; या
 - (ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था;
 - (ज) ''सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार में प्रशासनिक विभाग;
 - (झ) "मुख्यालय" से अभिप्राय है , महानिदेशक या निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग, हरियाणा का कार्यालय;
 - (ञ) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;
 - (ट) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (ग्रुप घ) सेवा ।

भाग-II सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट 'क' में दिये गये पद शामिल होंगे -

पदों की संख्या तथा उनका

सेवा में

नियुक्त

अधिवास तथा चरित्र।

उम्मीदवारों

की राष्ट्रीयता,

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

- 4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—
 - (क) भारत का नागरिक ; या
 - (ख) नेपाल की प्रजा; या
 - (ग) भूटान की प्रजा ; या
 - (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो प्रथम जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो; या
 - ंड) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा कीनिया, युगांडा, तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगनीका और जंजीबार) जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ।

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग या बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चिरत्र प्रमाण पत्र और दो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उसे भलीभांति परिचित हो और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करे।
- 5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा जो भर्ती प्राधिकरण या _{आयु} महानिदेशक या निदेशक जैसी भी स्थिति हो, को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि के दिवस को सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर निर्धारित मानदंडों की पुष्टि ना करता हो :

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्गी तथा भूतपूर्व सैनिको से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा ऐसी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी ।

सेवा में पदों पर नियुक्तियां या महानिदेशक / निदेशक जैसी भी स्थिति हो, द्वारा की जाएगी ।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, ^{अर्हताएं ।} इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना '3' में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में उक्त परिशिष्ट के खाना '4' में विनिर्दिष्ट अर्हताएं तथा अनुभव न रखता हो;

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में, अनुभव संबंधी अर्हताओं में आयोग या नियुक्ति प्राधिकरण अभिलिखित करते हुए अपने विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दे सकता है, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों से सम्बन्धित उम्मीदवारों में से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

कोई भी व्यक्ति :—

निरर्हताए।

- क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या
- (ख) जिसने पति /पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी ;

क. मुख्यालय

(क) सेवादार की दशा में :--

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; या

भर्ती के ढंग ।

(ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) चौकीदार की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) सफाईकर्मी की दशा में:---

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

ख. जिला उद्योग केन्द्र

(क) सेवादार की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) चौकीदार की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) सफाईकर्मी की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा : या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

ग. बायलर संगठन :--

(क) सेवादार की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) चौकीदार की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

घ. गुण मार्किंग / उष्मा उपचार तथा औद्योगिक विकास केन्द्र :--

(क) सेवादार की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) प्रयोगशाला ब्वाय की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ग) हैल्पर की दशा में :--

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार अथवा भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की परिवीक्षा । अविध के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु : ---

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर इस नियम के अधीन परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमित दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु इस प्रकार ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्टि किए जाने का हकदार नहीं होगा।
- (2) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी;
 - (क) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अविध पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी;यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक रहा हो तो,
 - (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसकी नियुक्ति की तिथि से पृष्ट कर सकता है ; या
 - (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है : या

यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा—अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है ।

- (ख) किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी; यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में सन्तोषजनक ना रहा हो तो,
 - (i) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसकी सेवाऐं समाप्त कर सकता है और यदि अन्यथा नियुक्त किया हो, तो उसे उसके संबंध में ऐसी अन्य प्रकार से कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति कर सकता था :

बशर्ते कि परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की विश्वित, सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार, निश्चित की जायेगी : विश्वित । परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां विश्विता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग—अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में वरिष्ठता निर्धारित करते समय नियुक्ति प्राधिकारी किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम परिवर्तित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार रूप से निर्धारित की जायेगी :

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति सदस्य पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा ;
- (ख) पदोन्नित द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में वरिष्ठता ऐसे सदस्यों की ऐसी नियुक्ति में वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरण किये गये थे ;
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी वरिष्ठता वेतनमान के अनुसार निर्धारित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो अपनी पहले नियुक्ति में उच्चतर दर से वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर से समान हो तो वरिष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके

सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी, और यदि सेवा काल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से वरिष्ठ होगा ।

_{सेवा करने का} **12.** (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, आदेश दिए जाने पर हरियाणा राज्य में अथवा उसके ^{दायित्व}। बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर, ऐसा करने के लिए दायी होगा।

- (2) सेवा के किसी सदस्य को निम्नलिखित के अधीन भी सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, ---
 - (i) किसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय:
 - (ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा
 - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या स्वायत्त निकाय जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

वेतन, अवकाश, पेंशन तथा अन्य मामले ।

13. वेतन, अवकाश, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों के स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गये हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाए जाये ।

अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलें ।

14. (1) अनुशासन, शास्तियाँ तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शाक्तियाँ लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 1987 के नियम 9 के उप नियम (1)के खण्ड (ग) तथा खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिप्ट 'घ' में विनिर्दिष्ट है।

विशेष उपबन्ध।

15. इन नियमों में किसी बात, के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण।

16. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों अनुसार अनुसूचित जातियां, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

निरसन तथा व्यावृति ।

17. कोई भी सेवा नियम जो इन नियमों से तुरन्त पूर्व लागू है, इसके द्वारा, निरस्त किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया तथा आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

परिशिष्ट 'क' (देखिये नियम 3)

पदों की संख्या

'क' मुख्यालय

संख्या	पद नाम	स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	वेतनमान
1	सेवादार	43	_	43	4440—7440+1300 ग्रेड पे
2	चौकीदार	3	0	3	4440-7440+1300 ग्रेड पे
3	सफाईकर्मी	2	-	2 हासमान	4440-7440+1300 ग्रेड पे

'ख' जिला उद्योग केन्द्रों

संख्या	पद नाम	स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	वेतनमान
1	सेवादार	84	_	84	4440—7440+1300 ग्रेड पे
2	चौकीदार	21	_	21	4440—7440+1300 ग्रेड पे
3	सफाईकर्मी	21	_	21	4440-7440+1300 ग्रेड पे

'ग' बायलर संगठन

संख्या	पद नाम	स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	वेतनमान
1	सेवादार	4	4	8	4440—7440+1300 ग्रेड पे
2	चौकीदार	1	_	1	4440-7440+1300 ग्रेड पे

'घ' गुण मार्किंग / उष्मा उपचार तथा औद्योगिक विकास केन्द्र

संख्या	पद नाम	स्थाई	अस्थाई	कुल जोड़	वेतनमान
1	सेवादार	10	8	18	4440—7440+1300 ग्रेड पे
2	लैब ब्वाय	6	4	10	4440-7440+1300 ग्रेड पे
3	हैल्पर	3	3	6	4440-7440+1300 ग्रेड पे

परिशिष्ट 'ख' (देखिये नियम 7)

क्रम	पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा	
संख्या		अनुभव	शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई
			हो
मुख्याल	य/जिला उद्योग क	न्द्र/बायलर संगठन/गुण मार्किंग/उष्मा उपचार तथ	या औद्योगिक विकास केन्द्र।
1	सेवादार	हिन्दी सहित मिडल पास तथा साईकिल चलाना	
		जानता हो ।	
2	चौकीदार	हिन्दी सहित मिडल पास तथा साईकिल चलाना	
		जानता हो ।	
3	सफाईकर्मी	हिन्दी सहित मिडल पास तथा साईकिल चलाना	
		जानता हो ।	
4	हैल्पर	हिन्दी सहित मिडल पास तथा साईकिल चलाना	
		जानता हो ।	
5	प्रयोगशाला	हिन्दी सहित मिडल पास तथा साईकिल चलाना	
	ब्वाय	जानता हो ।	

परिशिष्ट 'ग' {देखिये नियम 14 (1)}

क्रम	पदनाम	नियुक्ति	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के	अपील प्राधिकारी
सं0		प्राधिकारी		लिए संशक्त	
				प्राधिकारी	
मुख्याल	ाय∕जिला उद्योग केन्द्र	:/बायलर संगठन	🖊 गुण मार्किंग/उष्मा उपच	ार तथा औद्योगिक विकार	प्त केन्द्र ।
1	सेवादार	महानिदेशक /	लधु शास्तियां :	(क) अपर निदेशक /	महानिदेशक / निदेशक
2	चौकीदार	निदेशक	(i) वैयक्तिक फाईल	संयुक्त निदेशक (प्रशा0)	
3	सफाईकर्मी		(आचरण पंजी) पर	मुख्यालय।	
4	हैल्पर		प्रति रखते हुए चेतावनी :	(ख) संयुक्त निदेशक	
5	प्रयोगशाला ब्वाय		(ii) परिनिन्दा :	/ उप निदेशक	
			(iii) पदोन्नति रोकनाः	(जिला उद्योग / गुण मार्किंग	
			(iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंधन द्वारा	/उष्मा उपचार	
			केन्द्रीय सरकार या	तथा औद्योगिक विकास केन्द्र)	
			राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी,	(π) πίντω	
			संगम या व्यष्टि	(ग) संयुक्त निदेशक—	
			निकाय को चाहे निगमित हो या नहीं	कम–मुख्य	
			जिसका पूर्ण	निरीक्षक बायलर (बायलर संगठन)	
			अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार		
			के पास अथवा		
			संसद या राज्य विधान मंडल के		
			अधिनियम द्वारा		
			स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण		
			या विश्वविद्यालय		
			को हुई धन संबंधी		
			पूर्ण हानि की या उसके भाग की		
			वेतन से वसूली ;		
			(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्वियां		
			रोकना		
			प्रमुख शास्तियां :	महानिदेशक / निदेशक	सरकार
			(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां	नलानप्राप/ । नप्राप	
			रोकनाः		
			(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये		
			वेतन समयमान में		
			निम्नस्तर प्रक्रम पर		
			अवनति, ऐसे अतिरिक्त निर्देशों		
			सहित कि क्या		

		सरकारी कर्मचारी	
		ऐसी अवनति की	
		अवधि के दौरान	
		वेतन वृद्धियां अर्जित	
		करेगा या नहीं और	
		क्या ऐसी अवधि की	
		समाप्ति पर, अवनति	
		उसके वेतन की	
		भावी वृद्धियों को	
		स्थगित करने का	
		प्रभाव रखेगी या	
		नहीं ;	
	(x;iii))निम्नस्तर वेतनमान,	
	(VIII)		
		ग्रेड, पद या सेवा	
		पर, ऐसी अवनति	
		जो सामान्यतः वेतन	
		समयमान, ग्रेड, पद	
		या सेवा पर जिसे	
		वह अवनत किया	
		गया या पदोन्नति	
		के लिये साधारण	
		रोक होगी, ऐसा	
		जिस ग्रेड या पद	
		या सेवा से सरकारी	
		कर्मचारी अवनत	
		किया गया था उस	
		पर बहाली सम्बन्धी	
		और उसकी ज्येष्टता	
		तथा उस ग्रेड, पद	
		या सेवा पर वेतन	
		के बारे में शर्तों	
		सम्बन्धी अतिरिक्त	
		निर्देशों के साथ या	
		उसके बिना होगा ;	
	(ix)	अनिवार्य सेवा	
	,	निवृत्ति :	
	(x)	सेवा से हटाया	
	(A)	जाना, जो सरकार	
		के अधीन भावी	
		क जवान नापा नियोजन के लिये	
		निरर्हता नहीं होगी;	
	(xi)	सेवा से पदच्युति,	
		जो सरकार के	
		अधीन भावी	
		नियोजन के लिये	
		सामान्यतः निरर्हता	
		होगी।	
 1			

परिशिष्ट 'घ' {देखिये नियम 14 (2)}

क्रम	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के	अपील
सं0			लिए सशक्त प्राधिकारी	प्राधिकारी
मुख्य	ालय / जिला उद्योग व	ज्द्र/बायलर संगठन/गुण मार्किंग/उष्मा उपचार	तथा औद्योगिक विकास	केन्द्र ।
1	सेवादार	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के	महानिदेशक /	सरकार
2	चौकीदार	अधीन अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ;	निदेशक	
3	सफाईकर्मी			
4	हैल्पर	(ii) सेवा के किसी सदस्य की अधिवार्षिता के लिये नियत आयु के होने से अन्यथा		
5	प्रयोगशाला ब्वाय	नियुक्ति की समाप्ति ।		

देवेन्द्र सिंह, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 15th October, 2015

No. 49/44/2015-2IB1- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed to the Haryana Industries & Commerce Department (Group D) State Service, namely:-

PART 1 – GENERAL

Short title & commencement.

- 1. (i) These rules may be called the Haryana Industries & Commerce Department (Group D) State Service Rules, 2015.
 - (ii) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Definitions. 2. In these rules, unless the context otherwise requires: -
 - (a) "Director or Director General" means the Director or Director General of Industries & Commerce, Haryana, as appointed by the Government of India or any State Government;
 - (b) "Commission" means the Haryana Staff Selection Commission.
 - (c) "Additional Director/Joint Director/ (Administration)" means "Additional Director /Joint Director (Administration) of Industries & Commerce Department, Haryana or such officer as may be authorized to exercise all or any power of the Additional Director /Joint Director (Administration);
 - (d) "Joint Director/Deputy Director" means "Joint Director/Deputy Director, District Industries Centre;
 - (e) "Joint Director-cum-Chief Inspector of Boiler" means Joint Director-cum-Chief Inspector of Boiler, Haryana;
 - "Joint Director/Deputy Director (Tech.)" means "Joint Director/Deputy Director, Quality Marking, Heat Treatment and Industrial Development Centre;
 - (f) "Institution" means, -
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;
 - (g) "Government" means Administrative Department in the Haryana Government;
 - (h) "Head Office" means the office of Director or Director General of Industries & Commerce, Haryana.
 - (i) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an officer/official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (j) "Service" means the Haryana Industries and Commerce Department (Group D) Service;

PART II - RECRUITMENT TO SERVICE

Number and **3.** character of posts.

The Service shall comprise the posts shown in Appendix 'A' to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Liability to Serve.

4.

- (1) No person shall be appointed to any post in the service, unless he is:-
 - (a) Citizen of India, or
 - (b) a subject of Nepal, or
 - (c) a subject of Bhutan, or

- a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzanian(formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

- A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or (2) interview conducted by the Commission or the Board or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.
- No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.
- No person shall be appointed to any post in the service by direct recruitment who does not confirm to age Age. criteria laid down by the State Government at the relevant time on the last date of submission of application to the Recruiting Authority or the Director General/Director:

Provided that in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Ex-Serviceman, the upper age limit shall be such, as fixed by the Government from time to time.

6. Appointments to the posts in the Service shall be made by the Director General/Director.

Appointing Authority.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and Qualifications. experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relax able to the extent of 50% at the discretion of the Commission or recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped candidates possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

8. No person -

Disqualifi -cations

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living or
- who having a spouse living, has entered or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. **(1)** Recruitment to the Service shall be made,- Mode of Recruitment.

A. Headquarter

- In the case of Peon:-(a)
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,
- **(b)** In the case of Chowkidar:-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

(c) In the case of Sweeper:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

B. DISTRICT INDUSTRIES CENTRE

(a) In the case of Peon:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

(b) In the case of Chowkidar:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

(c) In the case of Sweeper:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

C. BOILER ORGANISATION

(a) In the case of Peon:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

(b) In the case of Chowkidar:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

D. QUALITY MARKING, HEAT TREATMENT AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CENTRES

(a) In the case of Peon:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

(b) In the case of Laboratory Boy:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,

(c) In the case of Helper:-

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,
- (2) All promotions unless otherwise provided, shall be made on seniority –cum-merit basis and seniority alone shall not give any right to such promotions.

11.

Serve

Person appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if Probation. 10. appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that -

- any period after such appointment spent on deputation on corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and
- any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may:
 - If the work or conduct has, in its opinion, been satisfactory
 - confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a (i) permanent vacancy; or
 - confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy; or
 - (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy:
 - (b) if the work or conduct, has in its opinion, not been satisfactory:-
 - Dispense with his service, if appointed by direct recruitment, deal with him in such other manner as the terms and conditions of previous appointment permit, if appointed otherwise; or
 - extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed (ii) on the expiry of the first period of the probation:

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority, interest of members of the Service shall be determined by the length of the continuous service on Seniority.

any post in the service:

Provided that where there are different cadres in the service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by the direct recruitment, the order of it be determined by the Commission or the Board, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of member appointed by promotion or by transfer seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in the previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.
- A member of the service shall be liable to serve at any place, whether within or outside of the State Liability to 12. (1) of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
 - A member of service may also be deputed to serve under:-(2)

- (i) a company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a Municipal Corporation or a Local Authority within the State of Haryana;
- (ii) the Central Government or a Company, Association or a Body of Individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) another State Government, an International Organization, an Autonomous Body not controlled by the Government or a private body.

Pay, Leave, Pension & other matters. 13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, Penalties & appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made by the State Government such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The Authority competent to pass an order under Clause (c) or clause (d) or Sub-rule (i) of Rule 9 the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 and the appellate authority shall also as specified in Appedix 'D' to these rules.

Special Provisions.

15. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in order of appointment if it is deemed expedient to so.

Reservation. 16.

16. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the State Government in this regard, from time to time.

Repeal and Savings.

17. Any rule applicable to the service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of the posts	Nature of posts			Scale of pay
		Permanent	Temporary	Total	
	A. Headquarter				
1.	Peon	43		43	4440-7440+1300 GP
2.	Chowkidar	3	-	3	4440-7440+1300 GP
3	Sweeper	2	-	2	4440-7440+1300 GP
				Diminishing cadre	
	B. District Industries Co	entre			
1.	Peon	84	-	84	4440-7440+1300 GP
2.	Chowkidar	21		21	4440-7440+1300 GP
3.	Sweeper	21		21	4440-7440+1300 GP
	C. Boilers rganization				
1	Peon	8		8	4440-7440+1300 GP
2	Chowkidar	1	-	1	4440-7440+1300 GP
	C. Quality Marking, He	at Treatment a	nd Industrial	Development Cen	tre
1	Peon	18		18	4440-7440+1300 GP
2	Laboratory Boy	10		10	4440-7440+1300 GP
3	Helper	06		6	4440-7440+1300 GP

APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Description of posts	Academic Qualification and experience for direct recruitment	Academic Qualifications, experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
Γ	Directorate (H.Q.)/District Industries Centre/Boiler Organization/ Treatment and Industrial Development C	
1.	Peon	Middle pass with Hindi & should know cycling	By transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India,
2	Chowkidar	Middle pass with Hindi & should know cycling	-do-
3	Sweeper	Can read and write Hindi & should know cycling	-do-
4.	Helper	Can read and write Hindi & should know cycling	-do-
5.	Lab Boy	Can read and write Hindi & should know cycling	-do-

APPENDIX C [(See rule 14 (1)]

Sr. No.	Designation of the posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to make the order	Appellate Authority
Direc	torate (H.Q)/D		entre/Boiler Organization/ Quality Industrial Development Centre.	Marking Centre, Ho	eat Treatment
1.	2	3	4	5	6
1.	Peon	Director General/ Director	Minor Penalties: (i) Warning with a copy on the personal file (character	(a) Additional Director/Joint Director	Director General/ Director
2.	Chowkidar		roll); (ii) censure; (iii) Withholding of	(Admn.) (H.Q.) (b) Joint	
3.	Sweeper		promotion, (iv) Recovery from pay of the whole or part of any	Director/Dy. Director (DIC/ Quality	
4.	Helper		pecuniary loss caused by negligence or breach of orders, to the Central	Marking Centre, Heat	
5.	Lab Boy		Government or State Government or any other body of individual whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority set up by an Act of the Parliament or the Legislature of a State; and (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect.	Centre, Heat Treatment and Industrial Development Centre) for field offices. (c) Joint Director-cum- Chief Inspector of Boiler (Boiler Organization)	
			Major Penalties: (i) Withholding of	Director General/ Director	Government
			increments of pay with cumulative effect. (ii) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employees will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his/her pay.		

	1
(iii) reduction to a lower scale	
of pay, grade, post or	
service which shall	
ordinarily be a bar to the	
promotion of the	
Government employee to	
the time scale of pay,	
grade, post or service	
from which he was	
reduced with or without	
further directions	
regarding conditions of	
restoration to the grade or	
post or service from	
which the Government	
employee was reduced	
and his seniority and pay	
on such restoration to that	
grade, post or service;	
(iv) compulsory retirement;	
(v) removal from service	
which shall not be	
disqualification for future	
employment under the	
Government;	
(vi) dismissal from service	
which shall ordinarily be	
disqualification for future	
employment under the	
Government.	
Government.	

APPENDIX D [(See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of the posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate Authority
Directorate (H.Q)/District Industries Centre/Boiler Organization/ Quality Marking Centre, Heat Treatment and Industrial Development Centre.				
1.	2	3	4	5
1. 2.	Peon Chowkidar	(i) Reducing or withholding the amount of ordinary/ additional pension admissible under the rules governing pension;	(a) Director General/ Director.	Government.
3.	Sweeper	(ii) Terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for Superannuation.		
4.	Helper			
5.	Lab Boy			

DEVENDER SINGH, Principal Secretary to Government Haryana, Industries and Commerce Department.

53744—C.S.—H.G.P., Chd.